FORM NO.3

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत......एसडीओ......मुकाम......सरवाड़......

......ईश्वर वगैरह......बनाम......हाजी मोहम्मद वगैरह......

किस्म मुकदमा......212 RTAct......न......3......सन्......12......

7.9.17	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार हाजिर। वास्ते बहस मिसल दिनांक 24.10.17 को पेश हो। G7 SDO Sarwar	
24.10.17	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार हाजिर। पी.ओ. साहब बाहर पधारे हैं मिसल दिनांक 16.11.17 को पेश हो। q	
16.11.17	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार हाजिर। वास्ते बहस मिसल दिनांक 22.11.17 को पेश हो। hc SDO Sarwar	
22.11.17	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी के भिन्न भिन्न समय पर तलब कर आवाजें दिलवायी गयी किन्तु एक बार आकर 10 मिनट बाद आने की कह कर चले गए, प्रार्थी वकील को आज अंतिम मौका न्याय हित में दिया जाता है अप्रार्थी वकील को एतराज है मिसल दिनांक 23.11.17 को पेश हो। hc SDO Sarwar	
23.11.17	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री सज्जन कुमार उप०। अप्रार्थी के वकील हाजिर नहीं, भिन्न भिन्न समय पर आवाजें दिलवायी गयी- आज बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील का कथन है कि ग्राम दौलतपुरा की जमाबंदी सं. 2066-69 में दर्ज खसरा नं. 70 रकबा 25-07-00 बीघा का० I में से 15-00-00 बीघा जमीन प्रार्थीगण के पिता/पति ने दिनांक 25.8.82 को क्रय की थी। प्रार्थीगण के पिता/पति ने यह भूमि मदन लाल पुत्र शिवचन्द जाति वैष्णव सरगना से क्रय की थी। उक्त मदन लाल पुत्र शिवचन्द जाति वैष्णव ने यही भूमि भूरालाल, चौथमल पि० कल्याणमल ~~[illegible]~~ सुनार से क्रय की थी, आराजी का खसरा नम्बर पुराना 51 जिसका नया 70 रकबा 50-14-00 बाण्य था। वर्तमान में यह भूमि जमाबंदी सं. 2066-69 के खाता	

सं० 246-65 खसरा संख्या 70 रकबा 25-07-00 आरई वर्तमान में मुद्दई क्रमांक 3 दिनांक 21.4.10 से खाते शामिल भूमि स्योहनी देवी पत्नि माधोलाल, दुर्गालाल, सत्यनारायण पिता माधोलाल, हरपता सन्तोष, आचुकी पुत्रियां माधोलाल, रूपा देवी पुत्री चाँदमल, किरण देवी पत्नि रामकुंवार, शिवकुमार पि० रामकुंवार, कंचन, कान्ता, मधु, राधा पुत्रियां रामकुंवार, हाजी मोहम्मद सईद पुत्र अब्दुल सलाम कौम मंसूरी ~~मुसलमान~~ साकिन चार दरवाजा जीयाउद्दीन कॉलोनी प्लाट नं० 2 गली नं० 4 के नाम दर्ज है। चाँदमल की मृत्यु दिनांक 01-01-2012 को हो चुकी है तथा अप्रार्थीगण 16 से 20 उनके वारिस हैं। प्रतिवादी सं. 21 केता व हितबद्ध है।

अतः अप्रार्थीगण उनके नौकर चाकर इत्यादि को प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 2 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के हक हिस्से की 15.00.00 बीघा भूमि के मौके के उनके कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा डालने एवं भूमि को स्वयं अथवा दीगर के नाम हस्तान्तरित करने एवं राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन करने से मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है।

यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का निर्णायक नहीं है हक अधिकार का प्रश्न मूल वाद में तय होगा। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करें।

आदेश सुनाया गया।